[श्री शाहनवाज खां]

लारियां चलाने वाले हैं उन को भी देखना चाहिये कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। यह तो एक मामूली सी खबरदारी है जिस को हर एक मुसाफिर को, हर एक मोटर गाड़ी या दूसरी गाड़ी चलाने वाले को देखना चाहिये ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस ऐक्सिडेंट की तहकीकात रेलवे के सिक्योरिटी स्टाफ के द्वारा कराई जा रही है या रेलवे बोर्ड के अफसरान इस की तहकीकात कर रहे हैं ?

श्री शाहनवाज खां : मैं ने अर्ज किया है कि रेलवे के सिनियर स्केल आफिसर्स इस की जांच कर रहे हैं सिक्योरिटी स्टाफ से इस का कोई ताल्लुक हीं है ।

श्री बागड़ी : मैं जानना चाहता हूं कि जहां पर आम रास्ते हैं और आमद रफ्त बहुत है, वहां पर ओवर ब्रिज बनाने के लिये जो रेलवे मंत्री ने बार बार एलान किया है कि उस का ५० परसेन्ट राज्य सरकारें दें, और मिसाल के तौर पर मैं बतलाऊं कि हिसार में जो रेलवे ब्रिज बनाने की बात है, उस का ५० परसेन्ट वहां की मिनिस्ट्री और म्यूनिसिपैलिटी देने के लिये तैयार है, और इस के लिये मैं ने चिट्ठी भी लिखी है मंत्रालय की, वह सिरफ जबानी बात है या कोई स्पेशल केसेज हैं उन में वह ऐसा कर रहे हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : माननीय सदस्य ने मुझे जो चिट्ठा लिखी थी उस का जवाब मैं ने उन्हें दे दिया है । उन्हों ने मुझे लिखा था कि मैं पंजाब गवर्नमेंट को लिखूं । मैं ने उन को लिखा है । अगर वह पैसा देने के लिये तैयार होंगे तो वहां पर ओवर ब्रिज बन जायेगा ।

श्री बागड़ी : अगर म्यूनसिपैलिटी दे तो हो जायेगा या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : कोई दे उन को । वह आधा देने के लिये तैयार हो ।

श्री स्वर्ण सिंह : जी हां, वहां की म्यूनिसिपैलिटी दे, पंजाब गवर्नमेंट दे । लेकिन इस में आधे का सवाल नहीं है, ऐप्रोच रोड और ब्रिज का सवाल है ।

12.36 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNUAL REPORT OF THE ADMINISTRATIVE VIGILANCE FOR 1962

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hajarnavis): Sir, I beg to lay on the Table a copy of Annual Report of the Administrative Vigilance Division for the year 1962. [*Placed in Library. See* No. LT-1025/63).

NOTIFICATIONS UNDER THE EMPLOYEES' PROVIDENT FUNDS ACT

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Employment and for Planning (Shri C. R. Pattabhi Raman): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications under sub-section (2) of section 7 of the Employees' Provident Funds Act, 1952:—

(i) The Employees' Provident Funds (Third Amendment) Scheme, 1963 published in Notification No. G.S.R. 269 dated the 9th February, 1963.

(ii) The Employees' Provident Funds (Fourth Amendment) Scheme, 1963 published in Notification No. G.S.R. 297 dated the 16th February, 1963. [*Placed in Library. See* No. LT-1026/63].

PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

Secretary: Sir, I lay on the Table following five Bills passed by the Houses of Parliament during the cur-